No.14014/19/2002-Estt(D)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training
******

New Delhi, dated the 5th May, 2003.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Time-limit for making compassionate appointment.

*****

The undersigned is directed to refer to Department of Personnel & Training OM No.14014/6/94-Estt(D) dated October 9, 1998 and OM No.14014/23/99-Estt(D) dated December 3, 1999 on the above subject and to say that the question of prescribing a time limit for making appointment on compassionate grounds has been examined in the light of representations received, stating that the one year limit prescribed for grant of compassionate appointment is often resulting in depriving genuine cases seeking compassionate appointments, on account of regular vacancies not being available, within the prescribed period of one year and within the prescribed ceiling of 5% of direct recruitment quota.

2. It has, therefore, been decided that if compassionate appointment to genuine and deserving cases, as per the guidelines contained in the above OMs is not possible in the first year, due to non-availability of regular vacancy, the prescribed Committee may review such cases to evaluate the financial conditions of the family to arrive at a decision as to whether a particular case warrants extension by one more year, for consideration for compassionate appointment by the Committee, subject to availability of a clear vacancy within the prescribed 5% quota. If on scrutiny by the Committee, a case is considered to be deserving, the name of such a person can be continued for consideration for one more year.

3. The maximum time a person's name can be kept under consideration for offering Compassionate Appointment will be three years, subject to the condition that the prescribed Committee has reviewed and certified the penurious condition of the applicant at the end of the first and the second year. After three years, if compassionate appointment is not possible to be offered to the Applicant, his case will be finally closed, and will not be considered again.

4. The instructions contained in the above mentioned OMs stand modified to the extent mentioned above.

5. The above decision may be brought to the notice of all concerned for information, guidance and necessary action.

6. Hindi version will follow.

Kashyap

(Vidhu Kashyap)
Director(JCA)

To

All Ministries/Departments of the Government of India .

Copy to:-

1. The Comptroller and Auditor General of India
2. The Secretary, Union Public Service Commission.
3. Rajya Sabha Secretariat.
4. Lok Sabha Secretariat.
5. All State Governments/Union Territory Administrations.
6. All Attached/subordinate offices under the Department of Personnel & Training/Ministry of Home Affairs.
7. National Commission for SCs/STs, New Delhi.
8. National Commission for OBCs, New Delhi.
9. The Secretary, Staff Side, National Council.
10. The Registrar General, The Supreme Court of India.
11. The Department of Administrative Reforms and Public Grievances, Sardar Patel Bhavan, New Delhi.
12. All Officers/Sections of Department of Personnel & Training.
13. Facilitation Centre, DOP&T - 20 spare copies.
14. Establishment(D) Section (500 copies).

सं. 14014/19/2002-स्था.(घ)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक मई 05, 2003

कार्यालय-ज्ञापन

विषय :- अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति किए जाने की समय-सीमा ।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक अक्तूबर 09, 1998 के कार्यालय-ज्ञापन सं. 14014/6/94-स्था.(घ) और दिनांक दिसम्बर 03, 1999 के कार्यालय-ज्ञापन सं. 14014/23/99-स्था.(घ) का हवाला देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति किए जाने की कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित किए जाने के मुद्दे की इस बारे में मिले अभिवेदनों के संदर्भ में जाँच-पड़ताल कर ली गई है । उपर्युक्त अभिवेदनों में यह बताया गया है कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति किए जाने की दृष्टि से निर्धारित एक वर्ष की अवधि के भीतर और सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के कोटे के 05 प्रति शत रिक्त पदों की निर्धारित सीमा के भीतर, नियमित रिक्त पद उपलब्ध नहीं हो पाने से, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति किए जाने की एक वर्ष की समय-सीमा निर्धारित किए जाने के कारण, दिवंगत कर्मचारियों पर सीधे आश्रित अत्यन्त ज़रूरतमंद पात्र व्यक्ति, प्रायः ऐसी नियुक्ति हासिल करने से वंचित रह जाते हैं ।

2. अतः यह निर्णय किया गया है कि यदि उपर्युक्त कार्यालय-ज्ञापनों में निहित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, नियमित रिक्त पद उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण , दिवंगत कर्मचारियों पर सीधे आश्रित अत्यन्त ज़रूरतमंद और पात्र व्यक्तियों के मामलों में, पहले एक वर्ष के भीतर, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति करना सम्भव नहीं हो तो इस बारे में निर्धारित समिति, दिवंगत कर्मचारी के परिवार की आर्थिक स्थिति का आकलन करके, यह तय करने की दृष्टि से ऐसे मामलों की समीक्षा करे कि क्या किसी मामले विशेष में उपर्युक्त समिति द्वारा, सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के कोटे के 05 प्रतिशत रिक्त पदों की निर्धारित सीमा के भीतर, स्पष्टतः रिक्त पद उपलब्ध होने की शर्त पर, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति करने पर विचार किए जाने की दृष्टि से निर्धारित समय-सीमा को एक वर्ष तक और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है या नहीं । यदि उपर्युक्त समिति द्वारा ऐसी छान-बीन किए जाने पर, किसी दिवंगत कर्मचारी पर सीधे आश्रित व्यक्ति की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति किए जाने के मामले में, दिवंगत कर्मचारी पर सीधे आश्रित व्यक्ति को अत्यन्त ज़रूरतमंद और पात्र माना जाए तो ऐसे किसी व्यक्ति का नाम एक और वर्ष तक विचारार्थ क़ायम रखा जा सकता है ।

3. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की पेशकश किए जाने के लिए दिवंगत कर्मचारी पर सीधे आश्रित किसी पात्र व्यक्ति का नाम, इस शर्त पर, अधिकतम तीन वर्ष की अवधि तक विचाराधीन रखा जा सकता है कि इस बारे में निर्धारित समिति ने पहले और दूसरे वर्ष की समाप्ति पर, ऐसे आवेदक के मामले की समीक्षा कर ली हो और उसकी आर्थिक अभावपूर्ण स्थिति प्रमाणित कर दी हो । तीन वर्ष के बाद, यदि ऐसे आवेदक को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की पेशकश कर पाना सम्भव नहीं हो पाए तो उसका मामला बंद कर दिया जाए और उस पर पुनः विचार नहीं किया जाए ।

4. ऊपर उल्लिखित कार्यालय-ज्ञापनों में निहित अनुदेश, ऊपर दर्शाई गई सीमा तक आशोधित कर दिए गए माने जाएँ ।

5. उपर्युक्त निर्णय, सूचना, मार्गदर्शन और आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी संबंधित व्यक्तियों-पक्षों के ध्यान में ला दिया जाए ।

कश्यप

(विधु कश्यप)

निदेशक (संयुक्त परामर्शदायी तंत्र और अनिवार्य विवाचन)

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ।
2. सचिव, संघ-लोक-सेवा-आयोग ।
3. राज्य-सभा-सचिवालय ।
4. लोक-सभा-सचिवालय ।
5. सभी राज्य-सरकारें / संघ-राज्य-क्षेत्र ।
6. कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग / गृह-मंत्रालय के सभी सम्बद्ध / अधीनस्थ कार्यालय ।
7. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति-आयोग, नई दिल्ली ।
8. राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग-आयोग, नई दिल्ली ।
9. सचिव, कर्मचारी-पक्ष, राष्ट्रीय परिषद ।
10. महापंजीयक, भारत का उच्चतम न्यायालय ।
11. प्रशासनिक सुधार और लोक-शिकायत-विभाग, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली ।
12. कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग के सभी अधिकारी / अनुभाग ।
13. सूचना-सुविधा-केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग - 20 अतिरिक्त प्रतियाँ ।
14. स्थापना (घ) अनुभाग (500 प्रतियाँ) ।